बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
–:: अधिसूचना ::–

पटना–15, दिनांक–.....

संख्या–15 / बि॰स॰से॰–04–01 / 2025 सा॰प्र॰.....बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 03, 2008) की धारा–19 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन निर्मित बिहार सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनायी जाती है:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। –**

(i) यह नियमावली ''बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2026 कही जा सकेगी।''

(ii) इसका विस्तार बिहार राज्य सरकार के सचिवालय के विभागों तथा संलग्न कार्यालयों तक सीमित रहेगा।

(iii) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. **बिहार सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 के नियम–6(1) एवं 6(2)(i) का प्रतिस्थापन।–** उक्त नियमावली के नियम–6(1) एवं 6(2)(i) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है–

नियम–6(1) : सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ग्रेड के 85 प्रतिशत पदों को सीधी भर्त्ती द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ समय–समय पर आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर भरा जाएगा। सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएँ, पाठ्यक्रम आदि अधिनियम की धारा–9 की उपधारा (2) एवं धारा–19 की उपधारा (2) के अधीन संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ बिहार कर्मचारी चयन आयोग के परामर्श से बनायी गयी विनियमावली के अनुसार होंगे।

परन्तु, बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली, 2023 के प्रावधानों के आलोक में चयनित सुयोग्य उत्कृष्ट खिलाड़ी की नियुक्ति सीधी भर्त्ती के लिए उपलब्ध पदों के 10 प्रतिशत के अन्तर्गत की जा सकेगी।

नियम–6(2)(i) : शेष 15 प्रतिशत पदों को बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के वरीय सचिवालय सहायकों की प्रोन्नति द्वारा भरा जाएगा। ऐसी प्रोन्नति वरीयता एवं एतदर्थ गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा से दी जाएगी। प्रोन्नति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर यथानिर्धारित कालावधि को पूरा करना आवश्यक होगा।

3. **बिहार सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 के नियम–7(1) एवं 7(3) का प्रतिस्थापन।–** उक्त नियमावली के नियम–7(1) एवं 7(3) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है–

नियम–7(1) : परिवीक्षा अवधि में सीधी भर्त्ती से अथवा उत्कृष्ट खिलाड़ी से नियुक्त व्यक्ति से ऐसा प्रशिक्षण लेने या ऐसी विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने की अपेक्षा की जाएगी, जैसा सरकार / संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा समय–समय पर विहित किया जाय।

नियम–7(3) : सीधी भर्त्ती से अथवा उत्कृष्ट खिलाड़ी से नियुक्त परिवीक्षाधीन व्यक्ति के लिए अधिनियम की धारा–11 के आलोक में प्रशिक्षण आदि के पाठ्यक्रम, अधिनियम की धारा–19 की उप धारा–(2) के अधीन, संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ बनायी गयी विनियमावली के अनुसार होगी।

4. **बिहार सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 के नियम–9(2) के बाद नियम–9(3) का अन्तःस्थापन।**– उक्त नियमावली में नियम–9(3) को निम्नवत् अन्तःस्थापित किया जाता है–

नियम–9(3) : सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ग्रेड में सीधी भर्त्ती से अथवा उत्कृष्ट खिलाड़ी से नवनियुक्त सहायक प्रशाखा पदाधिकारी योगदान की तिथि से 01 (एक) वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर इसे 01 (एक) और वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(पंकज कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–15/बि०स०से०–04–01/2025 सा०प्र०...../पटना–15, दिनांक–.....

प्रतिलिपिः–ई०–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को आगामी बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–15/बि०स०से०–04–01/2025 सा०प्र०...../पटना–15, दिनांक–.....

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–15/बि०स०से०–04–01/2025 सा०प्र०...../पटना–15, दिनांक–.....

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार/महाधिवक्ता, बिहार/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/सचिव, राज्यपाल सचिवालय/सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/सचिव, लोकायुक्त का कार्यालय/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग/सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–15/बि०स०से०–04–01/2025 सा०प्र०20144**/पटना–15, दिनांक–**3.11.24

प्रतिलिपिः–आई०टी० प्रबंधक, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

31/10/2026
सरकार के प्रधान सचिव

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
–:: अधिसूचना ::–

पटना–15, दिनांक–3.11.26

संख्या–15 / बि०स०से०–04–01 / 2025 सा०प्र०–20145 अधिसूचना संख्या–20144 दिनांक–3.11.26 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत– संविधान के अनुच्छेद–348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0 / –
(पंकज कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव।

Government of Bihar
General Administration Department
NOTIFICATION

No:-15/B.S.S.-04-01/2025 / G.A.D.....20144./Patna-15, Dated ...3.11.26.....

In Exercise of powers conferred upon by sub clause (1) of article 19 of Bihar Secretariat Services Act 2007 (Bihar Act 3, 2008) Govt. of Bihar makes the following rule to amend, the Bihar Secretariat Services Rule, 2010 -

1. **Short Title, Extent and Commencement**
   (i) This rules may be called "Bihar Secretariat Service (Amendment) Rules, 2026"
   (ii) It shall extend to the Departments of the Secretariat and attached offices of Bihar State Govt.
   (iii) It shall come into force for the date of publication in the official gazette.

2. **Substitution of Rule 6(1) and 6(2)(i) of the Bihar Secretariat Service Rule, 2010** - Rule 6(1) and 6(2)(i) of the said Rule shall be substituted as follows-

   "**Rule 6(1) :** 85 percent of the posts of Assistant Section Officer Grade shall be filled by direct recruitment on the basis of the results of competitive examination conducted from time to time for the purpose by the Bihar Staff Selection Commission. The educational and other qualifications, syllabus, etc., for direct recruitment will be in accordance with the rules made by the competent authority under sub-section (2) of Section 9 and sub-section (2) of Section 19 of the Act, in consultation with the Bihar Staff Selection Commission for this purpose.

Provided that, in accordance with the provisions of the Bihar Outstanding Sports persons Direct Appointment Rules, 2023, the selected eligible outstanding sports person may be appointed under 10 percent of the posts available for direct recruitment."

"**Rule 6(2)(i)** : The remaining 15 percent of the posts shall be filled by promotion of Senior Secretariat Assistant of the Bihar Secretariat Clerical Service. Such promotion shall be given on the basis of seniority and on the recommendation of the Departmental Promotion Committee hereby constituted. For promotion, it is necessary to complete the probation period from time to time set by the General Administration Department."

3. Substitution of Rule 7(1) and 7(3) of the Bihar Secretariat Service Rule, 2010 - Rule 7(1) and 7(3) of the said Rule shall be substituted as follows-

"**Rule 7(1)** : During the probation period, a person appointed either through direct recruitment or from amongst outstanding sports person, shall be required to undergo such training or pass such departmental examination, as may be prescribed by the Government/Cadare Controlling Authority from time to time."

"**Rule-7(3)** : For a probationer appointed through direct recruitment or as an outstanding sports person, the course of training, etc., shall be in accordance with the rules made by the competent controlling authority for this purpose, under sub-section (2) of section 19 of the Act, in the light of section 11 of the Act."

4. Insertion of Rule 9(3) after Rule 9(2) of the Bihar Secretariat Service rule, 2010 - Rule 9(3) in the said Rules shall be inserted as follows-

"**Rule 9(3)** : The newly appointed Assistant Section Officer in grade of Assistant Section Officer through direct recruitment or from amongst outstanding sports person, shall be on probation for a period of 01 (one) year from the date of joining. In case of unsatisfactory service during the probation period, it may be extended for 01 (one) more year. In case of unsatisfactory service even during the extended period, the service may be terminated."

By the order of Governor of Bihar

Sd/-
(Pankaj Kumar)
Principal Secretary

Memo No:-15/B.S.S.-04-01/2025 / G.A.D...../Patna-15 Dated .....

Copy Forwarded to E-Gazette Cell, Finance Department, Bihar, Patna for publication in the forthcoming issue of Government Gazette.

Sd/-
Principal Secretary

Memo No:-15/B.S.S.-04-01/2025 / G.A.D...../Patna-15 Dated .....

Copy Forwarded to Chief Secretary, Bihar/All Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary/All Divisional Commissioners/All District Magistrates for information to necessary action.

Sd/-
Principal Secretary

Memo No:-15/B.S.S.-04-01/2025 / G.A.D...../Patna-15 Dated .....

Copy Forwarded to Accountant General, Bihar, Patna/Registrar General, Patna High Court, Patna/Resident Commissioner, Bihar Bhawan, New Delhi/Secretary, Governor of Bihar/Secretary, Chief Minister Secretariat/Secretary, Office of Lokayukta/Secretary, Legislature Assembly/Secretary, Bihar Legislature Council/Secretary, Bihar Public Service Commission, Patna/Secretary, Bihar Staff Selection Commission, Patna/Secretary, Bihar Technical Service Commission, Patna for information to necessary action.

Sd/-
Principal Secretary

Memo No:-15/B.S.S.-04-01/2025 / G.A.D.20144**./Patna-15 Dated ...**3.11.26

Copy Forwarded to I.T. Manager, General Administration Department, Bihar, Patna for information and necessary action for uploading on departmental website.

30/10/2026
Principal Secretary